राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं द्वितीय अपीलेट अधिकारी

(लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01 / 2022 अपील लो.से.गा.

उनवान

श्री राधेश्याम पारीक पुत्र काशीराम पारीक निवासी आमेसर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा **बनाम**

1. प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
2. पदाभित अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

उपस्थित :–प्रत्यर्थीगण की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :07.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द एवं पदाभित अधिकारी, तहसीलदार आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 16.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने वांछित दस्तावेजात की प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र साधारण नियम 2018 के तहत एवं एक आवेदन विहित अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2022 को तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित किया गया, जिसकी पालना नहीं किये जाने पर प्रथम अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के समक्ष दिनांक 12.08.2022 को की गयी एवं संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष की गयी।

प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी तहसीलदार आसीन्द द्वारा उनके पत्रांक 2420–22 दिनांक 09.11.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की अपील व प्रत्यर्थी के जवाब का अध्ययन व परीक्षण करने पर पाया गया है कि :–

1. आवेदक अपीलार्थी ने तहसीलदार आसीन्द को ग्राम आमेसर की आवंटन दिनांक 07.05.1977 को आराजी नंबर 14 की आवंटन पत्रावली की नकल लेने के लिए दिनांक 08.06.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र साधारण नियम 218 एवं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक आवेदन दिनांक 11.07.2022 को जरिये डाक प्रेषित किया। तहसीलदार आसीन्द द्वारा दस्तावेज की नकल नहीं देने पर प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को दिनांक 12.08.2022 को प्रस्तुत की। इस प्रथम अपील के निर्णय की प्रति द्वितीय अपील के साथ संलग्न नहीं की है।

2. अपीलार्थी द्वारा ग्राम आमेसर तहसील आसीन्द में आवंटन संख्या 293/1977 फैसल दिनांक 07.01.1992 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी चाही गयी है।
3. तहसीलदार आसीन्द द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही वांछित पत्रावली रिकॉर्ड में ढुँढवाकर, रिकॉर्ड में नहीं मिलने पर अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया। कार्यालय तहसीलदार आसीन्द में पुराने आवंटन का रिकॉर्ड 10 बस्तों में बंधा होकर कटा–फटा व जीर्ण–शीर्ण दीमक से प्रभावित हो रखा है जिसमें से अपीलार्थी द्वारा चाही गई पत्रावली को कार्यालय के कार्मिकों की टीम लगाकर दो बार तलाश किया गया, परन्तु उपलब्ध आवंटन अभिलेख पर वांछित पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है, जिस कारण प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित प्रतिलिपी/सूचना दिया जाना संभव नहीं हुआ है।
4. तहसीलदार आसीन्द द्वारा अपने जवाब के साथ पटवारी हल्का आमेसर द्वारा भू–अभिलेख शाखा के रिकॉर्ड रूम से आवंटित भूमि से संबंधित दर्ज नामान्तरण संख्या 1676 दिनांक 02.01.1992 तथा उस पर चस्पा सुदा आवंटन आदेश की एक प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा को एवं एक प्रति अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना अंकन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसील आसीन्द का आवंटन रिकॉर्ड कटा–फटा व जीर्ण–शीर्ण दीमक से प्रभावित होने से एवं उपलब्ध आवंटन अभिलेख पर अपीलार्थी द्वारा वांछित पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, आसीन्द द्वारा प्रतिलिपी नहीं दी जा सकी, परन्तु उक्त आवंटन भूमि से संबंधित दर्ज नामान्तरण संख्या 1676 दिनांक 02.01.1992 तथा उस पर चस्पा सुदा आवंटन आदेश की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार, आसीन्द को निर्देश दिये जाते है कि कार्यालय के कार्मिकों की एक टीम गठित कर कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड में एक बार पुनः गंभीरतापूर्वक तलाश कराकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित दस्तावेज की प्रतिलिपी कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार उपलब्ध करावें। साथ ही तहसीलदार, आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को भी अपने स्तर से सूचित कर उनके द्वारा वांछित दस्तावेजात के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण करा दिया दिया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार, आसीन्द को उक्तानुसार निर्णय अनुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट/पालना नहीं करने की स्थिति में वस्तुस्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट से 15 दिवस में इस न्यायालय को अवगत कराने हेतु एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को उक्त जारी निर्णय की पालना अपने पर्यवेक्षण में कराये जाने हेतु प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 07.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
द्वितीय अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा